

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान, जयपुर

राजस्थान में वन खण्डों की कार्य प्रणाली की वार्षिक समीक्षा

वित्तीय वर्ष

2023-2024

वार्षिक समीक्षा का संक्षिप्त विवरण

वार्षिक समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है।

इस वार्षिक समीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य वन खण्डों के लेखों के संकलन, स्थानीय लेखापरीक्षा और केंद्रीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई प्रारंभिक लेखों के रखरखाव में उत्पन्न हुई कमियों पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि इस वार्षिक समीक्षा में शामिल टिप्पणियां कार्यपालिका को उचित दिशानिर्देश तैयार करने के साथ-साथ सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनायेंगी, जिससे लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन में अपेक्षित सुधार होगा और बेहतर प्रशासन में योगदान मिलेगा।

सचिव, वित्त (व्यय) राजस्थान को सिफारिशें:- वित्त विभाग इस प्रतिवेदन में बताई गई कमियों पर ठोस कार्यवाही करने हेतु सरकार आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और धोखाधड़ी-रोधी तंत्र को सुदृढ़ करने पर भी विचार कर सकती है।

वर्ष 2023-24 की वार्षिक समीक्षा राजस्थान राज्य में वन खण्डों की कार्य प्रणाली से संबंधित है।

वार्षिक समीक्षा के दौरान नीचे दर्शाये गये क्षेत्रों में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

वन चालान एवं वन चैक	वन अग्रिम	लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/ स्थानीय निरीक्षण और वन खण्डों की केंद्रीय लेखापरीक्षा
---------------------	-----------	--

<p>01 अप्रैल 2016 से पूर्व की अवधि से संबंधित मदों के आंकड़ों का समय पर वन खण्डों द्वारा कोषालय के अभिलेखों के साथ-साथ इस कार्यालय में भी अंक मिलान नहीं करने के कारण इस कार्यालय में संधारित वृहद् पुस्तिकाओं में मार्च (पूर्व), 2024 तक चालान में शेष रूपये 6.90 लाख थे एवं चैक में अन्तिम शेष शून्य होने पर भी वन खण्डों में आपस (inter division) में राशियां धनात्मक एवं ऋणात्मक के रूप में शेष है, जिनका निस्तारण किया जाना है।</p>	<p>वर्तमान में 18 वन खण्डों के विरुद्ध रूपये 8.52 लाख वन अग्रिम के बकाया चल रहे हैं जिनका समायोजन/ वसूली किया जाना आवश्यक है। यह शेष 01 अप्रैल 2016 से पूर्व के है।</p>	<p>वर्ष 1981 से 2023 की विभिन्न अवधियों की 17 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों में कुल 315 आक्षेप जो कि अधिक भुगतान, अनुचित लाभ, अतिरिक्त व्यय, व्यर्थ व्यय, विनियामक संबंधी मामले, निष्क्रिय निवेश, उद्देश्यों की प्राप्ति न होना के अलावा अन्य विविध अनियमितताओं से संबंधित है। जिनका खण्डवार ग्राफ निम्नानुसार है, जिन पर विशेष ध्यान दिया जाना है।</p> <table border="1"> <caption>आक्षेपों की संख्या</caption> <thead> <tr> <th>विभाग</th> <th>आक्षेपों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>DCF Jaipur (North)</td><td>7</td></tr> <tr><td>DCF, (WL), MNP, Kota</td><td>12</td></tr> <tr><td>DCF Jaisalmer</td><td>24</td></tr> <tr><td>PCCF (Hoff), Jaipur</td><td>30</td></tr> <tr><td>DCF Jaipore</td><td>15</td></tr> <tr><td>DCF(WL), Zoo, Jaipur</td><td>12</td></tr> <tr><td>DCF(WL), Rajsamand</td><td>15</td></tr> <tr><td>DCF(WL), Jaipur</td><td>11</td></tr> <tr><td>DCF(WL), Udaipur</td><td>18</td></tr> <tr><td>DCF(WL), Jaipur</td><td>9</td></tr> <tr><td>DCF(WL), Jaipur</td><td>22</td></tr> <tr><td>DCF(WL), Jaipur</td><td>15</td></tr> <tr><td>DCF(WL), Jaipur</td><td>26</td></tr> <tr><td>DCF(WL), Jaipur</td><td>12</td></tr> </tbody> </table>	विभाग	आक्षेपों की संख्या	DCF Jaipur (North)	7	DCF, (WL), MNP, Kota	12	DCF Jaisalmer	24	PCCF (Hoff), Jaipur	30	DCF Jaipore	15	DCF(WL), Zoo, Jaipur	12	DCF(WL), Rajsamand	15	DCF(WL), Jaipur	11	DCF(WL), Udaipur	18	DCF(WL), Jaipur	9	DCF(WL), Jaipur	22	DCF(WL), Jaipur	15	DCF(WL), Jaipur	26	DCF(WL), Jaipur	12
विभाग	आक्षेपों की संख्या																															
DCF Jaipur (North)	7																															
DCF, (WL), MNP, Kota	12																															
DCF Jaisalmer	24																															
PCCF (Hoff), Jaipur	30																															
DCF Jaipore	15																															
DCF(WL), Zoo, Jaipur	12																															
DCF(WL), Rajsamand	15																															
DCF(WL), Jaipur	11																															
DCF(WL), Udaipur	18																															
DCF(WL), Jaipur	9																															
DCF(WL), Jaipur	22																															
DCF(WL), Jaipur	15																															
DCF(WL), Jaipur	26																															
DCF(WL), Jaipur	12																															

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन के दौरान पाया गया कि वन विभाग के उप वन संरक्षकों एवं वरिष्ठतम लेखा अधिकारियों द्वारा कार्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाने के कारण वन खण्डों में आंतरिक नियंत्रण की कमियों/अनियमिततायें पाई गईं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), वन विभाग, राजस्थान को सिफारिशें:- हम प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) से निम्नलिखित की सिफारिश करते हैं (1) प्रेषण मद (चैक एवं चालान) के बकाया शेष के निस्तारण के लिए वन खण्डों द्वारा कोषालय के सहयोग से महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों से मिलान कराना; (2) इस समीक्षा में बताई गई विभिन्न लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनाओं में पाई गई अनियमितताओं के निष्पादन के लिए संबंधित कार्मिकों को उत्तरदायी ठहराना; (3) वन खण्डों के प्रबंधन में सुधार के लिए इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के गुण-दोष के आधार पर अध्ययन और सुधार करना;

विषयवस्तु

		पृष्ठ संख्या
भाग I	प्रस्तावना	1
भाग II	वन विभाग के लेखों के संकलन से संबंधित टिप्पणियाँ	02 -09
भाग III	वन खण्डों की केंद्रीय और स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियाँ	10-15
परिशिष्ट	'A' : वृहद् पुस्तिका मार्च (पूरक), 2024 के अनुसार चालान की बकाया शेष राशियों का विवरण	16-19
	'B' : वृहद् पुस्तिका मार्च (पूरक), 2024 के अनुसार चैक के बकाया शेष राशियों का विवरण	20-24
	'C': मार्च, 2024 प्रपत्र-51 के अनुसार बकाया चालानों का विवरण	25-27
	'D': मार्च, 2024 प्रपत्र-51 के अनुसार बकाया चैकों का विवरण	28-29
	'E': मार्च, 2024 तक विभिन्न वन खण्डों में 3 महीने से अधिक समय से बकाया चैकों का विवरण	30-31
	'F': वृहद् पुस्तिका मार्च (पूरक), 2024 के अनुसार बकाया वन अग्रिम राशियों का विवरण	32
	'G(a)(i-viii)': वर्ष के दौरान स्थानीय निरीक्षण में पाये गये अधिक भुगतान, अनुचित लाभ, अतिरिक्त व्यय, व्यर्थ व्यय, विनियामक संबंधी मामले, निष्क्रिय निवेश, उद्देश्यों की प्राप्ति न होना एवं विविध व्यय के आक्षेप	33-41
	'G(b)': वर्ष के दौरान स्थानीय निरीक्षण के खण्डवार आक्षेप	42-52
	'H': वन खण्डों की सूची जिनसे प्रथम अनुपालना अपेक्षित है	53
	'I': आपत्ति पुस्तिका में मर्दों का विवरण	54
'J': बकाया लेखा परीक्षा टिप्पणियों का विवरण	55	

भाग- I

प्रस्तावना

वर्ष 2023-24 की वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन वन विभाग के खण्डों की केंद्रीय और स्थानीय लेखापरीक्षा के संकलन के दौरान पाये गये मुख्य बिंदुओं तथा प्रारम्भिक लेखों के संधारण एवं प्रस्तुति को दर्शाती हुई राजस्थान में 72 वन खण्डों की कार्य प्रणाली के गुण एवं दोषों को दर्शाती है। वर्ष 2023-24 के वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में वन विभाग के खण्डों के परीक्षण के दौरान पायी गई विभिन्न कमियों/अनियमितताओं का विवरण दिया गया है। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित कमियों को उदाहरण स्वरूप एवं उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उजागर करने के लिए दर्शाया गया है, जिन पर सरकार द्वारा गहन जांच करने के लिए ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, ताकि सुधार करके ओर प्रभावी बनाया जा सके।

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के जी.एण्ड टी. खण्ड के पत्र संख्या एफ 1(3)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2014 दिनांक 18.03.2016 के परिपत्र के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से वन लेखे कोषालयों से कार्य लेखा मॉड्यूल (डब्ल्यू.ए.एम.) वाम के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। कोषालयों द्वारा सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किए जाने के कारण कोई भी चैक और चालान कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर में प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

भाग-II में मुख्य रूप से, वन प्रेषण शेषों के बकाया शेषों के निस्तारण से संबंधित फॉर्म-51 का प्राप्त नहीं होना, प्राप्ति और व्यय शीर्षों के लेखों के मिलान में देरी, खण्डीय कार्यालयों द्वारा कोष कार्यालयों से लेखों के मिलान में देरी, वन अग्रिमों तथा वन जमाओं की राशियों से संबंधित है।

भाग- III में वन विभाग के खण्डों की केंद्रीय और स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान किये गये प्रेक्षणों को दर्शाया गया है, जो कि मुख्य रूप से कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों/निरीक्षण प्रतिवेदनों, स्थानीय/केंद्रीय लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना की प्राप्ति में देरी से संबंधित हैं।

भाग-II

प्रेक्षण

I. मासिक लेखे

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के जी.एण्ड टी. खण्ड के पत्र संख्या एफ 1(3)एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए.आर./2014 दिनांक 18.03.2016 के परिपत्र के अनुसार सिविल लेखों सहित मासिक लेखे दिनांक 01 अप्रैल 2016 से कोषालयों से कार्य लेखा मॉड्यूल (वाम) के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हो रहे हैं।

II. वन प्रेषण का निस्तारण नहीं होना

- (i) दिनांक 01 अप्रैल 2016 से पहले विभिन्न वन खण्डों द्वारा बैंक और चालान क्रमशः जारी और प्रेषित किए जाते थे। नियमों के अनुसार इन बैंक और चालानों का वन खण्डों द्वारा कोषालय के साथ मासिक रूप से अंक मिलान किया जाना चाहिए और उसके बाद फॉर्म-51 को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर को भेजा जाना चाहिए था। विभाग द्वारा समय पर अंक मिलान नहीं किये जाने के कारण कार्यालय में संधारित चालान की वृहद् पुस्तिका में लेजर की राशि ₹ 6.90 लाख (69 वन खण्डों में बंद खण्डों और अन्य खण्डों में समाहित खण्डों सहित) के अंतर की राशि अभी भी मार्च (पूरक) 2024 तक असमायोजित के रूप में प्रदर्शित हो रही है इसके अतिरिक्त बैंक की वृहद् पुस्तिका में लेजर की राशि शून्य है, परन्तु 52 वन खण्डों में आपस में राशियां धनात्मक एवं ऋणात्मक के रूप में दर्ज है।

चालान और बैंक की वृहद् पुस्तिका के अनुसार मार्च (पूरक) 2024 तक विभिन्न वन खण्डों के प्रेषण शीर्षों में का विवरण **परिशिष्ट-A और B** में दर्शाया गया है। मार्च, 2016 तक 72 वन खण्डों द्वारा निस्तारित नहीं किये गये बैंक और चालान के विस्तृत और अद्यतन अंतरों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत किए गए फॉर्म-51 में शामिल नहीं किया गया था। बैंक और चालान की वृहद् पुस्तिकाओं में अन्तर गलत वर्गीकरण एवं गबन करने के कारण भी हो सकते हैं। इसी प्रकार शीर्ष 8782-103-02 (बैंक) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के अन्त में अभुगतानित बैंकों (जिन बैंकों का भुगतान नहीं

हुआ है) को उसी वित्तीय वर्ष के लेखों में वापस नहीं किया जाता है, तो उस वित्तीय वर्ष में संबंधित शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को गलत माना जायेगा।

सिफारिशें:-

वन विभाग के सभी खण्डीय अधिकारियों को विशेष अभियान शुरू करके गलत वर्गीकरण की त्रुटियों को तुरंत ठीक करने एवं बकाया शेषों के निस्तारण कराने पर भी ठोस कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

वर्ष 2022-2023 से 2023-2024 के दौरान विभिन्न प्रेषण मदों में बकाया राशियों की तुलना का विवरण नीचे दर्शायी गई तालिका में निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	मद	बकाया राशियां		निस्तारण राशि ₹	निस्तारण राशि ₹ का प्रतिशत
		वर्ष 2022-2023	वर्ष 2023-2024		
		राशि ₹	राशि ₹	राशि ₹	
1.	8782-103-01 (चालान)	999591.48 डेबिट	689528.48 डेबिट	310063.00	31.01
2.	8782-103-02 (चैक)	14135.60 क्रेडिट	0.00	14135.60	100

(ii) फॉर्म-51 का प्रस्तुतीकरण

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम (पी.डब्ल्यू.एफ. एंड ए.आर.)-भाग-1 के नियम 740 के नोट 4 (i) के अनुसार, फॉर्म-51 को संबंधित वन खण्डों द्वारा अगले महीने की 17 तारीख को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर में प्रेषित कर दिया जाना चाहिये। विभिन्न वन खण्डों द्वारा फॉर्म-51 के साथ बकाया चैक और चालान से संबंधित राशियों का विवरण प्रेषित नहीं किया गया है । इसी प्रकार, उन खण्डों द्वारा अद्यतन फॉर्म-51 भी प्रेषित नहीं किये गये है, जहां कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा कोषालयों से प्राप्त टी.वाई. 65 के माध्यम से स्थानांतरण प्रविष्टि तैयार की गई थी और फॉर्म-51 में अद्यतन करने के लिए संबंधित खण्डों को पावती भेजी गई थी।

66 वन खण्डों के चालान में ₹275.25 लाख और 46 वन खण्डों के चैक में ₹202.38 लाख की राशि का बकाया शेष कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर में संधारित

चालान और चैक की वृहद् पुस्तिकाओं के मध्य हुआ था। इन खण्डों के बकाया शेषों का विवरण परिशिष्ट- C एवं D में दिया गया है।

वन खण्डों के फॉर्म-51 और महालेखाकार कार्यालय में संधारित वृहद् पुस्तिका के मध्य अंतर

मद	फॉर्म-51 (आंकड़े 31.03.2024 तक ₹ में)	वृहद् पुस्तिका (आंकड़े 31.03.2024 तक ₹ में)	अंतर (आंकड़े 31.03.2024 तक ₹ में)
8782-103-01 (चालान)	27525130.22 डेबिट	689528.48 डेबिट	26835601.74 डेबिट
8782-103-02 (चैक)	20237953.62 क्रेडिट	0.00	20237953.62 क्रेडिट

(iii) अभुगतानित चैक

तीन माह से अधिक पुराने चैकों के निस्तारण के संबंध में वन खण्डों द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। दिनांक 31 मार्च (पूर्व) 2024 तक वन विभाग के 25 खण्डों में 260 चैकों के विरुद्ध बकाया राशि ₹ 23.66 लाख थी। अभुगतानित चैकों सहित खण्डों की खण्डवार सूची संलग्न है और इसे परिशिष्ट-E में दर्शाया गया है। अभुगतानित चैकों के निस्तारण के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा नियमित पत्राचार किया जा रहा है, परन्तु प्रभावी कार्रवाई अभी भी अपेक्षित है ।

हालाँकि, वन खण्डों ने अभी तक कोषालयों को बिल तैयार करके नहीं भेजे हैं, जिसके कारण चैक अभी भी कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर में संधारित वृहद् पुस्तिकाओं में बकाया के रूप में प्रदर्शित हैं। इस संबंध में वन खण्डों द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।

सिफारिशें:-


कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर द्वारा वन खण्डों से नियमित पत्राचार किया जा रहा है, परन्तु वन विभाग, खण्डों और कोष कार्यालयों के संयुक्त प्रयास से ही बकाया राशियों का निस्तारण किया जा सकता है । अतः यह सिफारिश की जाती है कि सभी वन खण्ड अधिकारियों द्वारा कोष कार्यालयों के सहयोग से महालेखाकार कार्यालय के आंकड़ों का मिलान कर बकाया शेष के निस्तारण की कार्यवाही करें ।

मार्च (पूरक), 2024 तक चालान और चैक की वृहद् पुस्तिकाओं के अनुसार बकाया अधिकतम राशियों के (धनात्मक और ऋणात्मक) शेष

A- चालान


(A-1) मार्च (पूरक), 2024 की चालान की वृहद् पुस्तिका के अधिकतम धनात्मक बकाया राशियों वाले

शीर्ष दस वन मंडल:



(A-2) मार्च (प्रक), 2024 की चालान की वृहद् पुस्तिका के अधिकतम ऋणात्मक बकाया राशियों वाले


शीर्ष दस वन मंडल:




B - चैक

(B-1) मार्च (पूरक), 2024 की चैक की वृहद् पुस्तिका के अधिकतम धनात्मक बकाया राशियों वाले

शीर्ष दस वन मंडल:



(B-2) मार्च (पूर्व), 2024 की चैक की वृहद् पुस्तिका के अधिकतम ऋणात्मक बकाया राशियों वाले शीर्ष दस वन मंडल :



III. अंक मिलान

राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ-4 (13) वित्त 1(वी)/बजट/91 दिनांक 04-09-1991 के अनुसार, संबंधित विभागों द्वारा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर में संधारित वृहद् पुस्तिकाओं में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों को विभागीय पुस्तकों में दर्ज आंकड़ों के साथ निर्धारित समय सीमा के अंदर मिलान किया जाना चाहिए।

नए परिदृश्य के अनुसार, विभाग द्वारा मासिक अंक मिलान किया जाना है और इसी तरह सभी वन खण्डों की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), जयपुर द्वारा भी ऑनलाइन अंक मिलान किया जाना चाहिए।

IV. वन अग्रिम

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर की वृहद् पुस्तिका में लेखा माह मार्च (पूर्व), 2024 तक 18 वन खण्डों के वन अग्रिम में राशि ₹ 8.52 लाख बकाया के रूप में प्रदर्शित है, जिसे **परिशिष्ट-F** में खण्डवार विवरण दर्शाया गया है।

वन खण्डों की अग्रिम की राशि 01 अप्रैल, 2016 से पूर्व की बकाया है। इन राशियों के समायोजन के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना सुनिश्चित किया जावे, ताकि बकाया राशियों का निस्तारण किया जा सके।

वर्ष 2022-23 से 2023-2024 के दौरान वन अग्रिम (8550-101) की वृहद् पुस्तिका में बकाया शेष राशियां

क्रमांक	वर्ष	प्रारंभिक शेष राशि ₹	निस्तारण राशि ₹	निस्तारण का प्रतिशत	अंतिम शेष राशि ₹
1	2022-23	1990698.05	229378.00	11.52 %	1761320.05
2	2023-24	1761320.05	909772.00	51.65 %	851548.05

भाग-III

प्रेक्षण/टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा)

V(i) वर्ष के दौरान किए गए स्थानीय निरीक्षण पर अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होना ।

संबंधित वन खण्डों से अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण माह अप्रैल, 1981 से मार्च, 2023 तक की अवधि से संबंधित 17 लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन बकाया हैं, जिनका विवरण **परिशिष्ट-G(B)** में दर्शाया गया है।

संबंधित वन खण्डों को यथाशीघ्र अनुपालना प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक निर्देश दिये जाने एवं विलम्ब से अनुपालना प्रेषित करने के कारणों का पता लगाया जाना सुनिश्चित किया जावे ।

दिनांक 31.03.2023 और 31.03.2024 तक लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन और बकाया अनुच्छेदों की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है: -


क्रमांक	विभाग का नाम	31.03.2023 तक कुल बकाया		31.03.2024 तक कुल बकाया	
		नि. प्रति.	अनुच्छेद	नि. प्रति.	अनुच्छेद
1.	वन	372	1707	385	1798

स्थानीय निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना

स्थानीय निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने के बाद प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन एक माह के दौरान लेखापरीक्षा कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए। जनवरी, 2024 से 05 वन खण्डों की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन एक माह के दौरान प्राप्त नहीं हुई है जिसका विवरण **परिशिष्ट-H** में दर्शाया गया है। संबंधित वन खण्डों को निर्धारित समयावधि के अनुसार अनुपालना प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किया जाना सुनिश्चित करावे ।

वर्ष 2023-24 में लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितताएं नहीं पाई गई ।

बकाया लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों और अनुच्छेदों का दिनांक 31.03.2024 तक विवरण



वन खण्डों के स्थानीय निरीक्षण की प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन की विलंब से प्राप्ति (एक माह से अधिक) का विस्तृत विवरण नीचे दर्शायी गई तालिका में निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वन खण्डों का नाम	लेखापरीक्षा की अवधि	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि	प्रथम अनुपालना की प्राप्ति की देय तिथि	प्रथम अनुपालना की प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब की अवधि	
						माह	दिन
1.	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	4/2020 से 3/2023	09.06.2023	08.07.2023	13.09.2023	2	4
2.	उप वन संरक्षक, फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, कोटा	4/1981 से 03/2023	14.06.2023	13.07.2023	26.09.2023	2	12
3.	उप वन संरक्षक, (वन्य जीव), मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा	4/2021 से 03/2023	06.07.2023	05.08.2023	26.09.2023	1	20
4.	उप वन संरक्षक, पाली	4/2017 से 3/2023	10.08.2023	09.09.2023	06.03.2024	5	25
5.	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	4/2021 से 03/2023	20.09.2023	19.10.2023	09.11.2023	0	21
6.	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	4/2021 से 03/2023	22.09.2023	21.10.2023	08.11.2023	0	18

क्र.सं.	वन खण्डों का नाम	लेखापरीक्षा की अवधि	लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी होने की तिथि	प्रथम अनुपालना की प्राप्ति की देय तिथि	प्रथम अनुपालना की प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब की अवधि	
						माह	दिन
7.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), जयपुर	04/22 से 03/23	20.10.2023	19.11.2023	29.02.2024	3	11
8.	उप वन संरक्षक, टोंक	4/2019 से 03/2023	08.12.2023	07.01.2024	08.01.2024	0	1
9.	उप वन संरक्षक, जालौर	4/2019 से 03/2023	12.01.2024	11.02.2024	06.06.2024	3	24
10.	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	4/2021 से 03/2023	25.01.2024	24.02.2024	10.06.2024	3	15
11.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चिडियाघर, जयपुर	4/2020 से 03/2023	16.02.2024	15.03.2024	29.05.2024	2	14
12.	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी., स्टेज-II, जैसलमेर	4/2018 से 03/2023	01.03.2024	30.03.2024	06.06.2024	2	6
13.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), राजसमन्द	4/2019 से 03/2023	07.03.2024	06.04.2024	05.06.2024	0	29
14.	उप वन संरक्षक, चुरू	4/2019 से 03/2023	05.04.2024	04.05.2024	06.06.2024	1	3
15.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जयपुर	4/2021 से 03/2023	18.04.2024	17.05.2024	-	-	-
16.	उप वन संरक्षक, भरतपुर	4/2019 से 03/2023	17.04.2024	16.05.2024	-	-	-
17.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	4/2013 से 03/2023	20.05.2024	19.06.2024	-	-	-

V(ii) लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमिततायें/कमियां पाई गईं जैसे: अधिक भुगतान, अनुचित लाभ, अतिरिक्त व्यय, व्यर्थ व्यय, विनियामक संबंधी मामलें, निष्क्रिय निवेश, उद्देश्यों की प्राप्ति न होना एवं विविध व्यय के आक्षेप ।


1. उपरोक्त 17 खण्डों में से 8 खण्डों में, लेखापरीक्षा के आधार पर ₹ 72.71 लाख की अधिक भुगतान की राशि की वसूली हुई, जिसका विवरण **परिशिष्ट- G (a) (i)** में दर्शाया गया है।
2. उपरोक्त 17 खण्डों में से 4 खण्डों में, लेखापरीक्षा के आधार पर राशि ₹ 27.04 लाख की संविदा दायित्व का उल्लंघन किया गया एवं संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट- G (a) (ii)** में दर्शाया गया है।

3. उपरोक्त 17 खण्डों में से 9 खण्डों में, ₹ 2826.28 लाख की राशि का अतिरिक्त व्यय किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-G (a) (iii) में दर्शाया गया है।
4. उपरोक्त 17 खण्डों में से 3 खण्डों में अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि ₹ 240.05 लाख की राशि के व्यर्थ व्यय किये गये थे, जिसका विवरण परिशिष्ट- G (a) (iv) में दर्शाया गया है।
5. समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने दर्शाया कि उपरोक्त सभी 17 खण्डों में ₹ 31728.93 लाख की राशि के विनियामक संबंधी मामले उठाए गए थे, जिसका विवरण परिशिष्ट- G (a) (v) में दर्शाया गया है।
6. लेखापरीक्षा में दर्शाया गया कि उपरोक्त 17 खण्डों में से 3 खण्डों में ₹ 13057.06 लाख की राशि के निष्क्रिय निवेश/निष्क्रिय स्थापना/फंड को अवरुद्ध करने के मामले थे, जैसा कि परिशिष्ट- G (a) (vi) में दर्शाया गया है।
7. समीक्षा के दौरान पाया गया कि 17 खण्डों में से 1 खण्ड में उद्देश्यों की प्राप्ति न होने का मामला था, जिसका विवरण परिशिष्ट- G (a) (vii) में दर्शाया गया है।
8. लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि उपरोक्त सभी 17 खण्डों में ₹ 5446.94 लाख की विविध अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसका विवरण परिशिष्ट- G (a) (viii) में दर्शाया गया है।

VI वन खण्डों की केंद्रीय लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों का विवरण:

वर्ष 2010-2011 से 2023-2024 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा कार्यालय की आपत्ति पुस्तिका में ₹43.77 लाख की 104 मदें बकाया थीं, जिनका विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में आपत्ति पुस्तिका की बकाया राशियां




सिफारिशें

वन विभाग को आपत्ति पुस्तिका में दर्ज मदों को निस्तारित करवाने के लिए प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करवाया जाना चाहिए ।

इसके अलावा वर्ष 2010-2011 से 2023-2024 की अवधि में 33 लेखापरीक्षा टिप्पणी बकाया थी, जिसका विवरण परिशिष्ट-I में दर्शाया गया है ।

मार्च (पूरक) 2024 तक वर्षवार बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां



सिफारिश

वन विभाग को बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निस्तारित करवाने के लिए प्रभावी प्रयास सुनिश्चित करवाया जाना चाहिए ।

परिशिष्ट-A

अप्रैल 2023 से मार्च (पूरक) 2024 की वृहद् पुस्तिकाओं के अनुसार मुख्य शीर्ष 8782-103-01 की चालान की बकाया शेष राशियों का विवरण:

कोषालय कोड सं.	FRT कोड सं.	कोषालय एवं वन खण्डों का नाम	अप्रैल 2023 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹ (डेबिट)	निस्तारित राशि ₹	मार्च (पूरक) 2024 का अंतिम शेष राशि ₹ (डेबिट)
1		अजमेर			
	020	उप वन संरक्षक, अजमेर	1977027.79	0.00	1977027.79
2		अलवर			
	047	उप वन संरक्षक (बाघ अभयारण्य), सरिस्का, अलवर	229899.00	-28956.00	200943.00
	048	उप वन संरक्षक (प्रशिक्षण), अलवर	310.00	0.00	310.00
	060	उप वन संरक्षक, अलवर	43949.00	0.00	43949.00
3		बांसवाड़ा			
	021	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	-43933.00	12300.00	-31633.00
	039	उप वन संरक्षक (परियोजना) कड़ाना, बांसवाड़ा	14331.99	-12300.00	2031.99
4		बारां			
	022	उप वन संरक्षक, बारां	404488.97	-42465.00	362023.97
5		बाड़मेर			
	063	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	9688931.36	0.00	9688931.36
7		भरतपुर			
	023	उप वन संरक्षक, भरतपुर	833920.63	0.00	833920.63
	035	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), भरतपुर	160599.00	0.00	160599.00
8		भीलवाड़ा			
	058	उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, भीलवाड़ा	-1199605.76	0.00	-1199605.76
	126	वरिष्ठ योजना अनुसंधान अधिकारी और विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना, भीलवाड़ा	-2478.00	9704.00	7226.00
9		बीकानेर			
	015	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी. स्टेज-I छत्तरगढ़, बीकानेर	202009.24	0.00	202009.24
	024	उप वन संरक्षक, बीकानेर	-57150.47	0.00	-57150.47
	092	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी. स्टेज-II, बीकानेर	30208.00	10.00	30218.00

कोषालय कोड सं.	FRT कोड सं.	कोषालय एवं वन खण्डों का नाम	अप्रैल 2023 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹ (डेबिट)	निस्तारित राशि ₹	मार्च (पूरक) 2024 का अंतिम शेष राशि ₹ (डेबिट)
	127	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), बीकानेर	1133672.00	-250000.00	883672.00
	135	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), आई.जी.एन.पी. स्टेज-II बीकानेर	-17991.00	-10.00	-18001.00
10		बून्दी			
	025	उप वन संरक्षक, बून्दी	-229587.19	0.00	-229587.19
11		चित्तौड़गढ़			
	026	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	327998.00	0.00	327998.00
	038	उप वन संरक्षक (परियोजना), बैंगू, चित्तौड़गढ़	12693.24	0.00	12693.24
	120	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चित्तौड़गढ़	-496513.00	0.00	-496513.00
12		चुरू			
	051	उप वन संरक्षक, चुरू	-391311.00	0.00	-391311.00
13		दौसा			
	071	उप वन संरक्षक, दौसा	445873.00	-8407.00	437466.00
14		धौलपुर			
	074	उप वन संरक्षक, धौलपुर	-1567863.50	0.00	-1567863.50
15		डूंगरपुर			
	016	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	-369436.45	0.00	-369436.45
16		श्रीगंगानगर			
	061	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	3928385.09	0.00	3928385.09
	122	उप वन संरक्षक, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	1542342.00	0.00	1542342.00
17		हनुमानगढ़			
	017	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	-586294.26	0.00	-586294.26
18		जयपुर (शहर)			
	027	उप वन संरक्षक (दक्षिण), जयपुर	-3138749.90	0.00	-3138749.90
	059	उप वन संरक्षक, (केन्द्रीय), जयपुर	-842233.00	0.00	-842233.00
	099	उप वन संरक्षक (अनुसंधान), जी.एफ.एन. खातीपुरा, जयपुर	-3255817.63	0.00	-3255817.63
	102	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	-3096481.00	0.00	-3096481.00
	112	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चिडियाघर, जयपुर	-1612223.00	0.00	-1612223.00
	131	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), जयपुर	3302545.00	0.00	3302545.00

कोषालय कोड सं.	FRT कोड सं.	कोषालय एवं वन खण्डों का नाम	अप्रैल 2023 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹ (डेबिट)	निस्तारित राशि ₹	मार्च (पूरक) 2024 का अंतिम शेष राशि ₹ (डेबिट)
21		जयपुर (सचिवालय)			
	089	उप वन संरक्षक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	-78863.00	0.00	-78863.00
22		जैसलमेर			
	045	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	25259.60	0.00	25259.60
	057	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), (एन.पी.), जैसलमेर	-560207.00	0.00	-560207.00
	110	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी. स्टेज-II, जैसलमेर	21728.00	0.00	21728.00
23		जालौर			
	054	उप वन संरक्षक, जालौर	321308.48	0.00	321308.48
24		झालावाड़			
	028	उप वन संरक्षक, झालावाड़	40460.80	0.00	40460.80
25		झुन्झुनू			
	044	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	-57031.99	0.00	-57031.99
26		जोधपुर (शहर)			
	029	उप वन संरक्षक, जोधपुर	228606.94	0.00	228606.94
	098	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर	93512.00	0.00	93512.00
28		करौली			
	062	उप वन संरक्षक, करौली	376103.64	0.00	376103.64
	109	उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक-II बाघ परियोजना रणथंभौर, करौली	-5881.00	0.00	-5881.00
29		कोटा			
	030	उप वन संरक्षक, कोटा	-1328532.92	0.00	-1328532.92
	081	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा	-482331.00	0.00	-482331.00
	132	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मुकुन्दरा (एन.पी.), कोटा	462736.00	0.00	462736.00
30		नागौर			
	053	उप वन संरक्षक, नागौर	-13697.25	0.00	-13697.25
31		पाली			
	046	उप वन संरक्षक, पाली	-1115951.00	0.00	-1115951.00
	130	मृदा संरक्षक अधिकारी (एग्री.) लूणी परियोजना सोजत रोड, पाली	47600.00	0.00	47600.00
32		प्रतापगढ़			
	052	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	834359.00	0.00	834359.00

कोषालय कोड सं.	FRT कोड सं.	कोषालय एवं वन खण्डों का नाम	अप्रैल 2023 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹ (डेबिट)	निस्तारित राशि ₹	मार्च (पूरक) 2024 का अंतिम शेष राशि ₹ (डेबिट)
33		राजसमंद			
	086	उप वन संरक्षक, राजसमंद	-539522.00	0.00	-539522.00
	134	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), राजसमंद	4295649.00	-218478.00	4077171.00
34		सवाई माधोपुर			
	073	उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर	297403.81	0.00	297403.81
	097	उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक-I, बाघ परियोजना, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर	1814084.00	0.00	1814084.00
	123	मृदा संरक्षक अधिकारी (एगी.एक्स.ईएन.) बनास नदी परियोजना, सवाई माधोपुर	-5761.00	0.00	-5761.00
	133	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), एन.सी.सी. सवाई माधोपुर	55600.00	0.00	55600.00
35		सीकर			
	055	उप वन संरक्षक, सीकर	259425.00	0.00	259425.00
36		सिरोही			
	031	उप वन संरक्षक, सिरोही	-174577.63	0.00	-174577.63
	037	उप वन संरक्षक, परियोजना दांतीवाड़ा, माउंट आबू	12260.00	0.00	12260.00
	080	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), माउंट आबू	-79407.00	10061.00	-69346.00
37		टोंक			
	033	उप वन संरक्षक, टोंक	117568.00	0.00	117568.00
	125	उप वन संरक्षक (आयोजना), टोंक	15890.00	0.00	15890.00
38		उदयपुर			
	008	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	-144611.12	0.00	-144611.12
	013	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), उदयपुर	-5770554.00	0.00	-5770554.00
	034	उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण)	-271742.03	0.00	-271742.03
	056	उप वन संरक्षक, (फार्म वानिकी) उदयपुर (उत्तर)	-142906.00	0.00	-142906.00
	065	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	-4919902.00	218478.00	-4701424.00
		योग	999591.48	-310063	689528.48

परिशिष्ट-B

अप्रैल 2023 से मार्च (पूरक) 2024 तक वृहदपुस्तिका के अनुसार मुख्य शीर्ष 8782-103-02 की चैक की बकाया राशि का विवरण

कोषालय कोड सं.	FRT कोड सं.	कोषालय एवं वन खण्डों का नाम	अप्रैल 2023 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹ (क्रेडिट)	निस्तारित राशि ₹	मार्च (पूरक) 2024 का अंतिम शेष राशि ₹ (क्रेडिट)
1		अजमेर			
	020	उप वन संरक्षक, अजमेर	-382678.34	0.00	-382678.34
2		अलवर			
	047	उप वन संरक्षक (बाघ अभयारण्य), सरिस्का अलवर	710.00	0.00	710.00
	060	उप वन संरक्षक, अलवर	142754.00	0.00	142754.00
3		बांसवाड़ा			
	039	उप वन संरक्षक (परियोजना), कड़ाना, बांसवाड़ा	32706.00	0.00	32706.00
4		बारां			
	022	उप वन संरक्षक, बारां	-2130091.01	23294.00	-2106797.01
5		बाड़मेर			
	063	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	48545.00	0.00	48545.00
7		भरतपुर			
	023	उप वन संरक्षक, भरतपुर	496218.00	-317513.00	178705.00
	035	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), के.एन.पी. भरतपुर	201767.00	0.00	201767.00
8		भीलवाड़ा			
	058	उप वन संरक्षक, (एस.एफ.) भीलवाड़ा	-85390.26	0.00	-85390.26
9		बीकानेर			
	015	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी. स्टेज-1 छत्तरगढ़, बीकानेर	595115.38	0.00	595115.38
	024	उप वन संरक्षक, बीकानेर	-640960.57	0.00	-640960.57

कोषालय कोड सं.	FRT कोड सं.	कोषालय एवं वन खण्डों का नाम	अप्रैल 2023 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹ (क्रेडिट)	निस्तारित राशि ₹	मार्च (पूरक) 2024 का अंतिम शेष राशि ₹ (क्रेडिट)
	092	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी. स्टेज-II, बीकानेर	7352.00	0.00	7352.00
	135	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), आई.जी.एन.पी. स्टेज-II बीकानेर	2362.00	0.00	2362.00
10		बून्दी			
	025	उप वन संरक्षक, बून्दी	152941.02	0.00	152941.02
11		चित्तौड़गढ़			
	026	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	186037.00	0.00	186037.00
	120	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चित्तौड़गढ़	71384.00	0.00	71384.00
12		चुरू			
	051	उप वन संरक्षक, चुरू	1594978.68	0.00	1594978.68
14		धौलपुर			
	074	उप वन संरक्षक, धौलपुर	-184278.00	0.00	-184278.00
15		डूंगरपुर			
	016	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	-42444.70	0.00	-42444.70
16		श्रीगंगानगर			
	061	उप वन संरक्षक, श्रीगंगानगर	374957.00	0.00	374957.00
17		हनुमानगढ़			
	017	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	27192.20	0.00	27192.20
18		जयपुर (शहर)			
	027	उप वन संरक्षक (दक्षिण), जयपुर	-81324.00	0.00	-81324.00
	059	उप वन संरक्षक, (केन्द्रीय), जयपुर	-1421343.00	0.00	-1421343.00
	102	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	169745.00	0.00	169745.00

कोषालय कोड सं.	FRT कोड सं.	कोषालय एवं वन खण्डों का नाम	अप्रैल 2023 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹ (क्रेडिट)	निस्तारित राशि ₹	मार्च (पूरक) 2024 का अंतिम शेष राशि ₹ (क्रेडिट)
	112	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चिडियाघर , जयपुर	268727.00	0.00	268727.00
	131	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), जयपुर	294660.00	0.00	294660.00
21		जयपुर (सचिवालय)			
	089	उप वन संरक्षक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	-934254.00	0.00	-934254.00
22		जैसलमेर			
	045	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	-9899.50	-36554.00	-46453.50
	110	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी. स्टेज-11, जैसलमेर	-9272.00	-27450.00	-36722.00
23		जालौर			
	054	उप वन संरक्षक, जालौर	56383.48	0.00	56383.48
24		झालावाड़			
	028	उप वन संरक्षक, झालावाड़	491433.00	346172.00	837605.00
25		झुन्झुनू			
	044	उप वन संरक्षक, झुन्झुनू	-34224.85	0.00	-34224.85
26		जोधपुर (शहर)			
	029	उप वन संरक्षक, जोधपुर	78206.94	0.00	78206.94
	098	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर	160436.00	0.00	160436.00
28		करौली			
	062	उप वन संरक्षक, करौली	200.00	0.00	200.00
	109	उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक-11 बाघ परियोजना, रणथंभौर, करौली	85880.00	0.00	85880.00
29		कोटा			
	030	उप वन संरक्षक, कोटा	-1807456.24	0.00	-1807456.24
	081	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा	962907.00	0.00	962907.00

कोषालय कोड सं.	FRT कोड सं.	कोषालय एवं वन खण्डों का नाम	अप्रैल 2023 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹ (क्रेडिट)	निस्तारित राशि ₹	मार्च (पूरक) 2024 का अंतिम शेष राशि ₹ (क्रेडिट)
	132	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मुकुन्दरा (एन.पी.), कोटा	32484.00	0.00	32484.00
30		नागौर			
	053	उप वन संरक्षक, नागौर	-564.00	0.00	-564.00
31		पाली			
	046	उप वन संरक्षक, पाली	-20000.00	0.00	-20000.00
32		प्रतापगढ़			
	052	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	115000.00	0.00	115000.00
33		राजसमंद			
	086	उप वन संरक्षक, राजसमंद	-715401.00	0.00	-715401.00
	134	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), राजसमंद	-25235.00	0.00	-25235.00
34		सवाई माधोपुर			
	073	उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर	162870.00	-2084.60	160785.40
	097	उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक-I, बाघ परियोजना, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर	-157916.00	0.00	-157916.00
36		सिरोही			
	031	उप वन संरक्षक, सिरोही	244425.00	0.00	244425.00
37		टोंक			
	033	उप वन संरक्षक, टोंक	434183.00	0.00	434183.00
38		उदयपुर			
	013	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), उदयपुर	579206.00	0.00	579206.00
	034	उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण)	566543.37	0.00	566543.37
	056	उप वन संरक्षक, (फार्म वानिकी) उदयपुर (उत्तर)	10516.00	0.00	10516.00

कोषालय कोड सं.	FRT कोड सं.	कोषालय एवं वन खण्डों का नाम	अप्रैल 2023 का प्रारम्भिक शेष राशि ₹ (क्रेडिट)	निस्तारित राशि ₹	मार्च (पूरक) 2024 का अंतिम शेष राशि ₹ (क्रेडिट)
	065	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	48043.00	0.00	48043.00
		योग	14135.6	-14135.6	0.0

नोट:-वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 100% का निस्तारण हो चुका है । किन्तु कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर के मुख्य शीर्ष 8782-103-02 (चैक) की वृहद् पुस्तिका में वन खण्डों में आपस में राशियां धनात्मक एवं ऋणात्मक के रूप में दर्ज है, जिनका निस्तारण किया जाना अपेक्षित है ।

परिशिष्ट - C

**फॉर्म-51 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8782-103-01 वन खण्डों के बकाया चालान का दिनांक
31.03.2024 तक का विवरण**

क्र. सं.	खण्ड का कोड	खण्डों का नाम	बकाया शेष राशि ₹	प्रस्तुत किया जाना
1.	008	उप वन संरक्षक (प्रशासन) मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	-559.00	03/2016 तक
2.	013	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), उदयपुर	-47362.00	03/2016 तक
3.	015	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, स्टेज-1, छत्तरगढ़, बीकानेर	-85747.00	03/2016 तक
4.	016	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	-64328.00	03/2016 तक
5.	017	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	546820.00	03/2016 तक
6.	020	उप वन संरक्षक, अजमेर	127849.79	03/2016 तक
7.	021	उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा	53885.00	03/2016 तक
8.	022	उप वन संरक्षक, बारां	526441.97	03/2016 तक
9.	023	उप वन संरक्षक, भरतपुर	158106.70	03/2016 तक
10.	024	उप वन संरक्षक, बीकानेर	28216.53	03/2016 तक
11.	025	उप वन संरक्षक, बूंदी	794356.81	03/2016 तक
12.	026	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	25257.00	03/2016 तक
13.	027	उप वन संरक्षक, जयपुर	-623865.90	03/2016 तक
14.	028	उप वन संरक्षक, झालावाड़	7105367.80	03/2016 तक
15.	029	उप वन संरक्षक, जोधपुर	42606.03	03/2016 तक
16.	030	उप वन संरक्षक, कोटा	-2606606.84	03/2016 तक
17.	031	उप वन संरक्षक, सिरौही	117665.37	03/2016 तक
18.	033	उप वन संरक्षक, टोंक	- 94148.00	03/2016 तक
19.	034	उप वन संरक्षक, उदयपुर	1597032.37	03/2016 तक
20.	035	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), केएनपी, भरतपुर	380765.00	03/2016 तक
21.	038	उप वन संरक्षक, (परियोजना), बेगू, चित्तौड़गढ़	1836.24	05/2019 तक
22.	039	उप वन संरक्षक (परियोजना), बांसवाड़ा	6215.99	03/2016 तक
23.	044	उप वन संरक्षक, झुंझुनू	44652.78	03/2016 तक
24.	045	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	- 30628.40	03/2016 तक

क्र. सं.	खण्ड का कोड	खण्डों का नाम	बकाया शेष राशि ₹	प्रस्तुत किया जाना
25.	046	उप वन संरक्षक, पाली	28746.00	03/2016 तक
26.	047	उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना, सरिस्का	76275.00	03/2016 तक
27.	051	उप वन संरक्षक, चुरू	383768.00	03/2016 तक
28.	052	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़	- 246659.00	03/2016 तक
29.	053	उप वन संरक्षक, नागौर	252669.25	03/2016 तक
30.	054	उप वन संरक्षक, जालोर	132667.48	03/2016 तक
31.	055	उप वन संरक्षक, सीकर	143457.00	03/2016 तक
32.	056	उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	3350230.00	03/2016 तक
33.	057	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जैसलमेर	- 40468.00	03/2016 तक
34.	058	उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	-175624.71	03/2016 तक
35.	059	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जयपुर	-1088826.00	03/2016 तक
36.	060	उप वन संरक्षक, अलवर	425052.00	03/2016 तक
37.	061	उप वन संरक्षक, गंगानगर	481900.00	03/2016 तक
38.	062	उप वन संरक्षक, करौली	42190.00	03/2016 तक
39.	063	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	9854.36	03/2016 तक
40.	065	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	3763699.00	03/2016 तक
41.	071	उप वन संरक्षक, दौसा	25802.00	03/2016 तक
42.	073	उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर	63526.00	03/2016 तक
43.	074	उप वन संरक्षक, धौलपुर	728752.00	03/2016 तक
44.	081	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा	127694.00	03/2016 तक
45.	086	उप वन संरक्षक, राजसमंद	-105077.00	03/2016 तक
46.	087	उप वन संरक्षक (विश्व खाद्य कार्यक्रम), जैसलमेर	935.00	03/2016 तक
47.	091	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, चरण-2, स्टेज-2, बीकानेर	-12437.00	03/2016 तक
48.	092	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, स्टेज-2, बीकानेर	32808.00	03/2016 तक
49.	097	उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक-1 बाघ परियोजना, रणथंभौर, सवाई माधोपुर	339059.00	03/2016 तक
50.	098	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर	734073.00	03/2016 तक
51.	099	उप वन संरक्षक (अनुसंधान), जीएफएन खातीपुरा, जयपुर	8480.00	03/2016 तक

क्र. सं.	खण्ड का कोड	खण्डों का नाम	बकाया शेष राशि ₹	प्रस्तुत किया जाना
52.	102	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	2264073.00	03/2016 तक
53.	106	उप वन संरक्षक, अरावली वृक्ष परियोजना, उदयपुर (मध्य)	945412.00	03/2016 तक
54.	109	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक-11 बाघ परियोजना रणथंभौर, करौली	1150.00	03/2016 तक
55.	110	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, चरण-2, जैसलमेर	91156.00	03/2016 तक
56.	112	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चिड़ियाघर, जयपुर	2134730.00	03/2016 तक
57.	120	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चित्तौड़गढ़	920783.00	03/2016 तक
58.	122	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), सूरतगढ़	- 38323.00	03/2016 तक
59.	123	मृदा संरक्षक अधिकारी (कृषि अभियंता), बनास नदी परियोजना, वन विभाग, सवाईमाधोपुर	1389.60	03/2016 तक
60.	125	उप वन संरक्षक (परियोजना), टोंक	3.00	03/2016 तक
61.	127	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), बीकानेर	244000.00	03/2016 तक
62.	131	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), जयपुर	3671981.00	03/2016 तक
63.	132	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मुकुंदरा, (एनपी) कोटा	-66711.00	03/2016 तक
64.	133	उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य, सवाईमाधोपुर	2500.00	03/2016 तक
65.	134	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), राजसमंद	-133399.00	03/2016 तक
66.	135	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), स्टेज-2, बीकानेर	10.00	03/2016 तक
		कुल	27525130.22	

परिशिष्ट - D

फॉर्म-51 के अनुसार मुख्य शीर्ष 8782-103-02 वन खण्डों के बकाया चैक का दिनांक 31.03.2024 तक का विवरण

क्र. सं.	खण्ड का कोड	खण्डों का नाम	बकाया शेष राशि ₹	प्रस्तुत किया जाना
1.	013	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), उदयपुर	578206.00	03/2016 तक
2.	015	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, स्टेज-1, छत्तरगढ़, बीकानेर	233063.66	03/2016 तक
3.	016	उप वन संरक्षक, डूंगरपुर	-166352.00	03/2016 तक
4.	017	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	-248.80	03/2016 तक
5.	020	उप वन संरक्षक, अजमेर	-1662611.34	03/2016 तक
6.	022	उप वन संरक्षक, बारां	- 868441.01	03/2016 तक
7.	023	उप वन संरक्षक, भरतपुर	624294.00	03/2016 तक
8.	024	उप वन संरक्षक, बीकानेर	184162.75	03/2016 तक
9.	025	उप वन संरक्षक, बूंदी	151418.00	03/2016 तक
10.	026	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	98037.00	03/2016 तक
11.	028	उप वन संरक्षक, झालावाड़	3294762.16	03/2016 तक
12.	029	उप वन संरक्षक, जोधपुर	107710.94	03/2016 तक
13.	030	उप वन संरक्षक, कोटा	6850561.76	03/2016 तक
14.	033	उप वन संरक्षक, टोंक	195597.00	03/2016 तक
15.	034	उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण)	489505.37	03/2016 तक
16.	035	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), केएनपी, भरतपुर	172278.00	03/2016 तक
17.	039	उप वन संरक्षक (परियोजना), बांसवाड़ा	5663984.00	03/2016 तक
18.	044	उप वन संरक्षक, झुंझुनू	65641.15	03/2016 तक
19.	045	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	202309.50	03/2016 तक
20.	053	उप वन संरक्षक, नागौर	48436.00	03/2016 तक
21.	054	उप वन संरक्षक, जालोर	56383.48	03/2016 तक
22.	056	उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	63214.00	03/2016 तक
23.	059	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जयपुर	-752709.00	03/2016 तक
24.	060	उप वन संरक्षक, अलवर	7312.00	03/2016 तक
25.	061	उप वन संरक्षक, गंगानगर	-1405.00	03/2016 तक

क्र. सं.	खण्ड का कोड	खण्डों का नाम	बकाया शेष राशि ₹	प्रस्तुत किया जाना
26.	065	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	-734076.00	03/2016 तक
27.	073	उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर	183599.00	03/2016 तक
28.	074	उप वन संरक्षक, धौलपुर	423915.00	03/2016 तक
29.	080	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), माउंटान्बू	125001.00	03/2016 तक
30.	081	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा	-1063707.00	03/2016 तक
31.	086	उप वन संरक्षक, राजसमंद	-887644.00	03/2016 तक
32.	087	उप वन संरक्षक (विश्व खाद्य कार्यक्रम), जैसलमेर	12000.00	03/2016 तक
33.	089	उप वन संरक्षक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	2130.00	03/2016 तक
34.	091	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, चरण-2, खण्ड-2, बीकानेर	46663.00	03/2016 तक
35.	092	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, स्टेज-2, बीकानेर	306887.00	03/2016 तक
36.	097	उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक (प्रथम) बाघ परियोजना, रणथंभौर, सवाई माधोपुर	597858.00	03/2016 तक
37.	098	उप वन संरक्षक (वन्य जीव) जोधपुर	161041.00	03/2016 तक
38.	102	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	- 77801.00	03/2016 तक
39.	109	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक द्वितीय बाघ परियोजना रणथंभौर, करौली	4800.00	03/2016 तक
40.	110	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी-स्टेज-2, जैसलमेर	9450.00	03/2016 तक
41.	112	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चिड़ियाघर, जयपुर	266150.00	03/2016 तक
42.	120	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चित्तौड़गढ़	1329895.00	03/2016 तक
43.	131	उप वन संरक्षक (विभागीय कार्य मंडल), जयपुर	1538524.00	03/2016 तक
44.	132	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मुकुंदरा (एनपी), कोटा	562262.00	03/2016 तक
45.	133	उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल अभयारण्य, सवाईमाधोपुर	1231622.00	03/2016 तक
46.	134	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), राजसमंद	564275.00	03/2016 तक
		कुल	20237953.62	

परिशिष्ट-E

विभिन्न वन खण्डों की तीन महीने से अधिक समय से बकाया चैकों (मार्च पूरक 2024 तक) की खण्डवार सूची

क्र.सं.	FRT कोड	खण्ड का नाम	चैक की सं.	राशि ₹
1	016	उप वन संरक्षक, इंगरपुर	1	2396.00
2	023	उप वन संरक्षक, भरतपुर	3	5143.00
3	024	उप वन संरक्षक, बीकानेर	7	22609.00
4	025	उप वन संरक्षक, बूंदी	31	335567.00
5	028	उप वन संरक्षक, झालावाड़	5	28753.00
6	029	उप वन संरक्षक, जोधपुर	6	34499.00
7	030	उप वन संरक्षक, कोटा	75	395479.00
8	034	उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण)	5	127668.00
9	039	उप वन संरक्षक (परियोजना), कडाना, बांसवाड़ा	1	25176.00
10	044	उप वन संरक्षक, झुंझुनू	4	59358.00
11	056	उप वन संरक्षक, उदयपुर (उत्तर)	7	89363.00
12	063	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	4	10864.00
13	065	उप वन संरक्षक (वन्य जीव) उदयपुर	1	26835.00
14	073	उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर	36	172635.00
15	074	उप वन संरक्षक, धौलपुर	31	63414.00
16	081	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), कोटा	12	21854.00
17	089	उप वन संरक्षक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, बजाज नगर मोड़, जेएलएन मार्ग, जयपुर	1	630.00
18	092	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, स्टेज-2, बीकानेर	6	37939.00
19	097	उप वन संरक्षक और उप क्षेत्र निदेशक-1 बाघ परियोजना, रणथंभौर, सवाई माधोपुर	4	32264.00
20	098	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जोधपुर, माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर	4	31446.00

क्र.सं.	FRT कोड	खण्ड का नाम	चैक की सं.	राशि ₹
21	109	उप वन संरक्षक, उप निदेशक-॥ बाघ परियोजना, रणथंभौर, करौली	3	444553.00
22	110	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, स्टेज -2, जैसलमेर	1	143555.00
23	112	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चिड़ियाघर, जयपुर	6	217772.00
24	120	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चित्तौड़गढ़	1	3660.00
25	132	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मुकुंदरा, (एनपी), कोटा	5	32484.00
कुल			260	2365916.00

परिशिष्ट-F

**वन अग्रिम की वृहद् पुस्तिका (8550-101) मार्च (पूरक) 2024 तक की अंतिम शेष राशि का
खण्डवार विवरण**

क्र. सं.	खण्ड का कोड	खण्ड का नाम	अंतिम शेष राशि ₹
1	015	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, छत्तरगढ़, बीकानेर	60878.91
2	017	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, हनुमानगढ़	217859.00
3	023	उप वन संरक्षक, भरतपुर	249336.55
4	026	उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ़	32037.00
5	027	उप वन संरक्षक, जयपुर (दक्षिण)	16745.00
6	030	उप वन संरक्षक, कोटा	19388.57
7	034	उप वन संरक्षक, उदयपुर (दक्षिण)	-370740.79
8	038	उप वन संरक्षक, बेगू, चित्तौड़गढ़	5222.00
9	044	उप वन संरक्षक, झुंझुनू	827.00
10	061	उप वन संरक्षक, गंगानगर	143741.00
11	073	उप वन संरक्षक, सवाई माधोपुर	44800.00
12	074	उप वन संरक्षक, धौलपुर	237000.81
13	089	उप वन संरक्षक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर	13900.00
14	092	उप वन संरक्षक, आईजीएनपी, स्टेज-2, बीकानेर	2461.00
15	097	उप वन संरक्षक और उप क्षेत्र निदेशक-। बाघ परियोजना, रणथंभौर, सवाई माधोपुर	21698.00
16	120	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चित्तौड़गढ़	26448.00
17	132	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मुकुंदरा (एनपी), कोटा	791.00
18	133	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), एन.सी.एस. सवाईमाधोपुर	129155.00
कुल			851548.05

परिशिष्ट - G (a) (i)

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान पाए गए अधिक भुगतान

क्र. सं.	खण्ड का नाम	FRT सं.	राशि ₹ (लाखों में)	अनुच्छेद सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि
1.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा	132	37.68	2(II),5	2021-23
2.	उप वन संरक्षक, पाली	046	7.76	4(II)a, 4(III), 5(a)I, 5(b)1	2017-23
3.	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	045	12.56	4(II)a, 5(a)	2021-23
4.	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	017	9.89	6	2021-23
5.	उप वन संरक्षक, टोंक	033	2.02	4(I), 4(III)	2019-23
6.	उप वन संरक्षक, जालौर	054	0.6	3(5)III	2019-23
7.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जयपुर	-	0.24	4	2021-23
8.	उप वन संरक्षक, भरतपुर	023	1.96	5	2019-23
	कुल		72.71	14	

परिशिष्ट- G (a) (ii)

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान संविदा दायित्व का उल्लंघन किया गया एवं संवेदक को अनुचित लाभ दिया गया

क्र. सं.	खण्ड का नाम	FRT सं.	राशि ₹ (लाखों में)	अनुच्छेद सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि
1.	उप वन संरक्षक, पाली	046	13.90	4(I)	2017-23
2.	उप वन संरक्षक, टोंक	033	1.26	2(II)	2019-23
3.	उप वन संरक्षक, जालौर	054	11.67	3(I)	2019-23
4.	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी., स्टेज-II, जैसलमेर	110	0.21	6	2018-23
	कुल		27.04	4	

परिशिष्ट- G(a) (iii)

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान अधिक व्यय किया गया

क्र. सं.	खण्ड का नाम	FRT सं.	राशि ₹ (लाखों में)	अनुच्छेद सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि
1.	उप वन संरक्षक, पाली	046	5.16	2(III), 6(I)	2017-23
2.	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	045	78.22	2(II), 7(2), 7(3), 7(4), 8(2)	2021-23
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), जयपुर	-	1.12	7	2022-23
4.	उप वन संरक्षक, जालौर	054	498	1,1(1),1(2),1(3)	2019-23
5.	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	063	2132.85	1,1(1),1(2),1(3)	2021-23
6.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चिडियाघर, जयपुर	112	2.48	2(3)	2020-23
7.	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी., स्टेज-II, जैसलमेर	110	106	1(1)	2018-23
8.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), राजसमन्द	134	1.69	4(1)	2019-2023
9	उप वन संरक्षक, चुरू	051	0.76	7(3)	2019-2023
	कुल		2826.28	20	

परिशिष्ट- G(a) (iv)

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान फिजूलखर्ची/व्यर्थ व्यय किया गया

क्र. सं.	खण्ड का नाम	FRT सं.	राशि ₹ (लाखों में)	अनुच्छेद सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि
1.	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	102	118.01	2(1a)	2020-23
2.	उप वन संरक्षक, पाली	046	79.91	2(II), 3(I)	2017-23
3.	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	045	42.13	2(I), 3	2021-23
	कुल		240.05	5	

परिशिष्ट- G(a) (v)

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान विनियामक संबंधी मुद्दे

क्र. सं.	खण्ड का नाम	FRT सं.	राशि ₹ (लाखों में)	अनुच्छेद सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि
1.	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	102	423.91	1(I),1(III), 1(IV), 1(V), 1(VII A), 2 (2a), 3, 5(VI), 6(a), 6(b)	2020-23
2.	उप वन संरक्षक, फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, कोटा	-	0.00	1	1981-2023
3.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा	132	283.17	1(IIa), 1(IIb), 2(I), 3(I), 3(III), 3(IV)	2021-23
4.	उप वन संरक्षक, पाली	046	1833.73	1(a), 1(b)1, 1(b)2, 1(b)3, 1(b)4, 1(b)6, 2(I), 2(V), 6(V)	2017-23
5.	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	045	1796.30	1(I), 2(III), 4(I), 4(III), 4(IV), 6, 7(1)	2021-23
6.	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	017	916.92	1, 2, 3(I), 3(II), 3(III), 4(I), 4(II), 5(I), 5(II), 5(III)	2021-23
7.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), जयपुर	-	19925.84	2, 3, 5, 6	2022-23
8.	उप वन संरक्षक, टोंक	033	1726.72	1, 2(I), 2(III), 3(III), 3(IV), 4(II), 5	2019-23
9.	उप वन संरक्षक, जालौर	054	790.79	2(1), 2(2), 2(3), 2(4), 3(4), 3(5)I, 3(5)II, 3(5)IV, 4(I), 4(II), 4(IV), 5	2019-23
10.	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	063	771.05	2(1), 2(2), 3(1), 3(2), 3(3), 4, 5(1), 5(2), 5(3), 6	2021-23
11.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चिडियाघर, जयपुर	112	176.88	1(1), 1(4), 2(5), 3(2), 4	2020-23
12.	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी., स्टेज-II, जैसलमेर	110	1302.62	1(2), 1(3), 1(4), 2(1), 2(2), 3, 4(1), 4(2), 4(3), 5(1), 5(2)	2018-23
13.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), राजसमन्द	134	323.85	1(2), 1(5), 2, 3, 6(1), 6(4), 6(5), 6(6)	2019-23
14.	उप वन संरक्षक, चुरू	051	54.42	1, 7(4), 8, 11(1), 11(2), 11(3), 11(4), 11(5), 11(6)	2019-23

क्र. सं.	खण्ड का नाम	FRT सं.	राशि ₹ (लाखों में)	अनुच्छेद सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि
15.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जयपुर	-	0.00	5(5), 5(6), 5(7), 5(8)	2021-23
16.	उप वन संरक्षक, भरतपुर	023	921.58	3(1), 3(2), 3(4), 4(3), 4(5), 4(6), 4(7), 6, 8(1)	2019-23
17.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	065	481.15	1, 2, 3, 5(a), 7, 8	2013-23
	कुल		31728.93	128	

परिशिष्ट- G (a) (vi)

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान निष्क्रिय निवेश किया गया

क्र. सं.	खण्ड का नाम	FRT सं.	राशि ₹ (लाखों में)	अनुच्छेद सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि
1.	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	102	9.30	4	2020-23
2.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), जयपुर	-	12725.58	1	2022-23
3.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	065	322.18	9	2013-23
	कुल		13057.06	3	

परिशिष्ट- G(a) (vii)

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होना

क्र. सं.	खण्ड का नाम	FRT सं.	राशि ₹ (लाखों में)	अनुच्छेद सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि
1.	उप वन संरक्षक, फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, कोटा	-	शून्य	2, 3(I), 3(II), 3(III), 3(IV), 3(V)	1981-2023
				6	

परिशिष्ट- G(a) (viii)

लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान विविध व्यय किया गया

क्र. सं.	खण्ड का नाम	FRT सं.	राशि ₹ (लाखों में)	अनुच्छेद सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि
1.	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	102	5.83	1(II), 1(VI), 1(VII B), 1(VII C), 2(1b), 2(2b), 5(I), 5(II), 5(III), 5(IV), 5(V), 5(VII), 5(VIII)	2020-23
2.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा	132	2925.04	1(I), 1(III), 3(II), 4	2021-23
3.	उप वन संरक्षक, पाली	046	0.91	1(b)5, 2(IV), 6(II), 6(III), 6(IV), 7	2017-23
4.	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	045	0.00	1(II), 1(III), 2(IV), 2(V), 4(II)b, 4(V), 5(b), 7(5), 8(1), 9, 10, 11, 12, 13	2021-23
5.	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	017	0.00	3(IV), 3(V), 3(VI), 3(VII), 3(VIII), 4(III), 4(IV), 5(IV), 5(V), 7(a), 7(b), 7(c), 8, 9(a), 9(b), 10(I), 10(II), 10(III)	2021-23
6.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), जयपुर	-	2256.57	4, 9, 10, 11, 12, 13(1)I, 13(1)II, 13(1)III, 13(2)	2022-23
7.	उप वन संरक्षक, टोंक	033	0.00	3(I), 3(II)	2019-23
8.	उप वन संरक्षक, जालौर	054	7.91	2(5), 2(6), 3(2), 3(3), 4(III)	2019-23
9.	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	063	0.00	3(4)	2021-23
10.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), चिडियाघर, जयपुर	112	6.44	2(2), 3(1), 3(3), 6, 9	2020-23
11.	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी., स्टेज-II, जैसलमेर	110	0.00	2(3), 2(4), 2(5), 2(6), 5(3)	2018-23
12.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), राजसमन्द	134	4.73	1(1), 1(3), 1(4), 4(2), 5(a), 5(b), 5(c), 6(2), 6(3), 7	2019-23
13.	उप वन संरक्षक, चुरू	051	0.26	2(a), 2(b), 3, 4(1), 4(2), 4(3), 5, 6, 7(1), 7(2), 9, 10	2019-23
14.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), जयपुर	-	115	1,2,3,5, 5(1), 5(2), 5(3), 5(4), 5(9), 5(10)	2021-23
15.	उप वन संरक्षक, भरतपुर	023	0.00	1(a), 1(b), 2, 3(3), 3(5), 4(1), 4(2), 4(4), 4(8), 7, 8(2), 8(3), 8(4), 9(1), 9(2), 9(3)	2019-23
16.	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	065	124.25	4(a), 4(b), 4(c), 5(b), 6	2013-23
	कुल		5446.94	135	

परिशिष्ट- G(b)

(राशि ₹ लाखों में)

S. No.	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total					
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.			
1	उप वन संरक्षक, जयपुर (उत्तर)	4/20 से 3/23											1(I)	346.8							1(II)	0						
															1(III)	0							1(VI)	0				
																1(IV)	0							1(VII B)	0			
																1(V)	0								1(VII C)	0		
																1(VII A)	25.93											
														2(1a)	118.0	2(2a)	0								2(1b)	0		
																3	9.36	4	9.3						2(2b)	5.76		
																5(VI)	25.93								5(I)	0		
																6(a)	14.35								5(II)	0		
																6(b)	1.54								5(III)	0.07		
																									5(IV)	0		
																									5(V)	0		
																						5(VII)	0					
																						5(VIII)	0					

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.
	कुल										118.01		423.91		9.3						5.83	557.05	
2	फोरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, कोटा	04/81 से 03/23										1	0						2	0			
																			3(I)	0			
																			3(II)	0			
																			3(II)	0			
																			3(IV)	0			
																			3(V)	0			
	कुल												0							0		0	
3	उप वन संरक्षक, (वन्य जीव), मुकुन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा	04/21 से 03/23										1(II)	82.13								1(I)	2770.04	
					2(II)	10.55						1(II)	117								1(III)	155.00	
												2(I)	59.18								3(II)	0	
					5	27.13						3(I)	24.21								4	0	
												3(II)	0.65										
												3(IV)	0										
	कुल			0		37.68							283.17									2925.04	3245.89

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total			
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.			
4	उप वन संरक्षक, पाली	04/17 से 03/23											1(a)	1517.79							1(b)5	0				
															1(b)1	0						2(IV)	0			
																1(b)2	0									
					4(II) _a	5.84	4(I)	13.9								1(b)3	0									
					4(III)	0.59										1(b)4	0									
					5(a)1	0.95										1(b)6	0							6(II)	0	
					5(b) ₁	0.38			2(II) _I	2.83	2(II)	20.88	2(I)	90.96										6(III)	0.91	
											3(I)	59.03	2(V)	217.91										6(IV)	0	
									6(I)	2.33			6(V)	7.07										7	0	
	कुल				7.76		13.9		5.16		79.91		1833.73									0.91	1941.37			
5	उप वन संरक्षक, जैसलमेर	04/21 से 03/23			4(II) _a	1.61			2(II)	57.79	2(I)	26.1	1(I)	1769.46								1(II)	0			
						0					0	3	16.03	2(III)	2.3								1(III)	0		
						0					0			4(I)	7.05								2(IV)	0		

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.
				0			7(2)	6.37			4(III)	0.02								2(V)	0		
			5(a)	10.95			7(3)	0.16			4(IV)	12.22								4(II)b	0		
							7(4)	0.03			6	5.25								4(V)	0		
							8(2)	13.87			7(I)	0								5(b)	0		
																				7(5)	0		
																				8(1)	0		
																				9	0		
																				10	0		
																				11	0		
																				12	0		
																				13	0		
	कुल			12.56				78.22		42.13		1796.3									0		1929.21

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total			
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.			
6	उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़	04/21 से 03/23			6	9.89							1	126.39							3(IV)	0				
															2	417.66							3(V)	0		
																3(I)	65.7							3(VI)	0	
																3(II)	65.7							3(VII)	0	
																3(III)	73.27							3(VIII)	0	
																4(I)	58.19							4(III)	0	
																4(II)	58.19							4(IV)	0	
																5(I)	22.79							5(IV)	0	
																5(II)	15.78							5(V)	0	
																5(III)	13.25							7(a)	0	
																								7(b)	0	
																								7(c)	0	
																								8	0	
																								9(a)	0	
																								9(b)	0	
																					10(I)	0				
																					10(II)	0				
																					10(III)	0				
	कुल				9.89									916.92								0	926.81			
7	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04/22 से 03/23											2	29.86	1	12725.58					4	2256.57				
															3	0							9	0		

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total	
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.	
	(हॉफ), जयपुर													5	4.02							10	0	
								7	1.12					6	19891.96							11	0	
																						12	0	
																						13(1)I	0	
																						13(1)I I	0	
																						13(1)I II	0	
																						13(2)	0	
	कुल								1.12						19925.84								2256.57	34909.11
8	उप वन संरक्षक, टोंक	04/2019 से 03/2023	-	-	4(I)	1.63	2(II)	1.26					1	1668.8								3(I)	0	
					4(III)	0.39							2(I)	56.81								3(II)	0	
													2(III)	0										
													3(III)	0.17										
													3(IV)	0.57										
													4(II)	0.37										
													5	0										
	कुल					2.02		1.26						1726.72									0	1730
9	उप वन संरक्षक, जालौर	04/19 से 03/23			3(5)I II	0.6	3(1)	11.67	1	249			2(1)	748								2(5)	0	
									1(1)	125			2(2)	0								2(6)	0	

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.
								1(2)	105			2(3)	6.34							3(2)	0		
								1(3)	19			2(4)	3.72							3(3)	7.91		
												3(4)	7.71							4(III)	0		
												3(5)I	9.02										
												3(5)I I	3.04										
												3(5)I V	5.98										
												4(I)	0.77										
												4(II)	3.67										
												4(IV)	2.54										
												5	0										
	कुल				0.6		11.67		498				790.79									7.91	1308.97
10	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	04/21 से 03/23						1	850.85			2(1)	51.68									3(4)	0
								1(1)	641			2(2)	34.55										
								1(2)	544			3(1)	480										
								1(3)	97			3(2)	5.53										
												3(3)	2.27										
												4	195.17										
												5(1)	0.78										

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.
				</																			

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total	
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.	
	कुल						0.21		106					5(2)	12.09									
13	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), राजसमन्द	04/19 से 03/23							4(1)	1.69				1(2)	46.14							1(1)	0	
														1(5)	0							1(3)	0	
														2	4.14							1(4)	0	
														3	202.2							4(2)	0	
														6(1)	70.98							5(a)	0	
														6(4)	0.24							5(b)	0	
														6(5)	0.1							5(c)	0	
														6(6)	0.05							6(2)	0	
																						6(3)	0	
																						7	4.73	
	कुल									1.69					323.85								4.73	330.27
14	उप वन संरक्षक, चुरू	04/19 से 03/23							7(3)	0.76				1	0							2(a)	0	
														7(4)	0							2(b)	0	
														8	54.42							3	0	
														11(1)	0							4(1)	0	
														11(2)	0							4(2)	0	

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.
				</																			

S. No	Name of Division	Period	Fraud/Mis appropriation / privation/ Embezzlement/ Loss		Recovery at the instances of Audit/over Payment detected in Audit		Violation of contract obligation/ undue favour of contractor		Avoidable /excess expenditure		Wasteful/ Infructuous expenditure		Regulatory issues		Idle investments/ Idle establishment Blocking Fund		Delay in commissioning equipment		Non achievement of objectives		Miscellaneous		Grand Total						
			Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Para No.	Amt.	Amt.						
16	उप वन संरक्षक, भरतपुर	04/19 से 03/23			5	1.96							3(1)	3.76							1(a)	0							
															3(2)	1.27							1(b)	0					
																3(4)	0							2	0				
																4(3)	0.38								3(3)	0			
																4(5)	0.38									3(5)	0		
																4(6)	6.78									4(1)	0		
																4(7)	0									4(2)	0		
																6	909.01										4(4)	0	
																8(1)	0										4(8)	0	
																											7	0	
																											8(2)	0	
																											8(3)	0	
																											8(4)	0	
																								9(1)	0				
																								9(2)	0				
																								9(3)	0				
	कुल				1.96									921.58											0	923.54			
17	उप वन संरक्षक (वन्य जीव), उदयपुर	04/13 से 03/23											1	414.54											4(a)	0			
															2	33.08										4(b)	0		
																3	22.26										4(c)	0	
																5(a)	1.87										5(b)	0	
																7	4.91										6	124.25	

परिशिष्ट-H

दिनांक 31.03.2024 तक प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं होने वाली निरीक्षण प्रतिवेदनों की सूची।

क्र.सं.	खण्डों का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि	निरीक्षण प्रतिवेदनों की जारी होने की तिथि
1.	उप वन संरक्षक, जालौर	4/2019 से 3/2023	12.01.2024
2.	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	4/2021 से 3/2023	25.01.2024
3.	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), चिडियाघर, जयपुर	4/2020 से 3/2023	16.02.2024
4.	उप वन संरक्षक, आई.जी.एन.पी. स्टेज-II, जैसलमेर	4/2018 से 3/2023	01.03.2024
5.	उप वन संरक्षक (वन्यजीव), राजसमन्द	04/2019 से 03/2023	07.03.2024

परिशिष्ट-I

दिनांक 31.03.2024 के अनुसार वन लेखों की केन्द्रीय लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई सामान्य अनियमितताएं:-

- (i) विभिन्न वन खण्डों में अनावश्यक फिजूलखर्ची/निरर्थक व्यय किया गया।
- (ii) बिना निविदा आमंत्रित किये वन खण्डों के लिये अनियमित क्रय किया गया।
- (iii) विभाग और संवेदकों के बीच अनुबन्ध निष्पादित नहीं किया गया।
- (iv) लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न खण्डों में उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की गई ।
- (v) लेखापरीक्षा के दौरान अधिक भुगतान किया गया ।
- (vi) विभिन्न वन खण्डों में अधिक व्यय किया गया ।
- (vii) विभिन्न वन खण्डों में लेखापरीक्षा के दौरान विनियामक मुद्दे पाये गये।
- (viii) विविध अनियमितताएं।

दिनांक 31.3.2024 तक बकाया आपत्ति पुस्तिका की राशियों का विवरण

वर्ष	मद	राशि ₹ लाखों में
2010-11	2	81110
2011-12	4	356759
2012-13	5	689753
2013-14	1	329238
2014-15	5	543291
2015-16	7	812773
2016-17	3	165467
2017-18	4	20937
2018-19	3	24329
2019-20	2	10478
2020-21	5	34590
2021-22	6	333308
2022-23	18	226000
2023-24	39	748981
कुल	104	4377014

परिशिष्ट-I

दिनांक 31.03.2024 तक बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां/प्रत्युत्तरों का वर्षवार विवरण

वर्ष	लेखापरीक्षा टिप्पणियां/प्रत्युत्तरों की संख्या
2014-15	1
2015-16	1
2018-19	3
2021-22	1
2022-23	5
2023-24	22
कुल	33